बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक 10.02.2016 को प्रधान सचिव कक्ष में श्री रूपेश, परामर्शी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आयुक्त के राज्य सलाहकार एवं अन्य के साथ हुए बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति– संलग्न सूची के अनुसार।

विभागीय प्रधान सचिव द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए राज्य में नगर निकायों के अन्तर्गत पूर्व से मौजूद आश्रय स्थल एवं नये आश्रय स्थल के निर्माण की प्रगति विवरण प्रस्तुत किया गया। श्री रूपेश एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव को प्रधान सचिव महोदय से साझा करते हुए बताया गया कि कुछ नगर निकायों में आश्रय स्थल कार्यरत हैं जबकि पटना शहर में मौजूद आश्रय स्थलों में सुधार की आवश्यकता है। पटना अवस्थित आश्रय स्थलों पर सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कराया जाय तथा आश्रय स्थल में रहने वाले को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा 48 नये आश्रय स्थल के निर्माण एवं पूर्व से मौजूद 66 आश्रय स्थलों के रख–रखाव एवं संचालन हेतु संबंधित सभी नगर निकायों राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना से राशि उपलब्ध कराने एवं इसकी प्रगति की जानकारी दी गयी।

1. बिहारशरीफ, कटिहार एवं बेगुसराय नगर निगम अन्तर्गत संचालित आश्रय स्थलों का फोटोग्राफ एवं वहॉ उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से संबंधित इसकी प्रगति एवं फोटोग्राफ की प्रस्तुतीकरण की गयी।

2. आश्रय स्थलों के रख–रखाव एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका तैयार कर संबंधित सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराने एवं आश्रय स्थलों के रख–रखाव व संचालन स्वयं सहायता समूह के क्षेत्रीय स्तर संघों **(Area Level Organisations)** के द्वारा कराये जाने की जानकारी विभागीय प्रधान सचिव द्वारा दी गयी। इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने की जानकारी भी प्रधान सचिव के द्वारा दी गयी।

3. पटना नगर निगम अन्तर्गत मौजूद आश्रय स्थलों के सुधार एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

4. विभागीय सचिव द्वारा नये आश्रय स्थल के निर्माण एंव उसकी प्रगति प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी गयी कि बिहारशरीफ एवं भागलपुर नगर निगम में नये आश्रय स्थल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं अन्य नगर निकायों में निर्माण कार्य हेतु एजेन्सियों का चयन प्रकियाधीन है।

5. वैसे नगर निकाय जहॉ आश्रय स्थल के निर्माण कार्य एवं रख–रखाव की गति धीमी है या जो इनके कार्यों में रूची नहीं ले रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु **PMC-NULM** को निदेश दिया गया।

6. शहरी निराश्रितों के लिए नये आश्रय स्थल के निर्माण कार्य एवं पूर्व से मौजूद आश्रय स्थलों के नवीनीकरण, संचालन व रख–रखाव कार्य का सूक्ष्म अनुश्रवण एवं नगर निकायों से समन्वय स्थापित पर कार्य को शीघ्र पुरा कराने का निदेश **PMC-NULM** को दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

24.2.16

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः NULM-PMC/001/SUH/PF-1/ न0वि0 एवं आ0वि0 /49 दिनांकः 25/02/16

प्रतिलिपिः– श्री रूपेश, राज्य सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, आयुक्त/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/टीम लीडर, PIMC-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.16

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग